



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271713
CG-DL-E-10042026-271713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 243]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 263(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 227(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- (i) पृष्ठ संख्या 46 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति ख(5)(ड.) में, अंक और अक्षर "6ग-6घ" के स्थान पर अंक और अक्षर "5ग-5घ" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) पृष्ठ संख्या 49 पर, अनुसूची-सीजी में, पंक्ति ई के हाशिये शीर्षक में, शब्द और अंक "ख12क" को शब्द और अंक "ख11क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) पृष्ठ संख्या 50 पर, अनुसूची-सीजी में, तालिका च में रिक्त कक्षों का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा;

- (iv) पृष्ठ संख्या 50 पर, अनुसूची-112क में, स्तंभ (1ख) को हटा दिया जाएगा;
- (v) पृष्ठ संख्या 51 पर, अनुसूची-115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक में, स्तंभ (1ख) को हटाया जा सकता है;
- (vi) पृष्ठ संख्या 53 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 2(घ) में, "घxx" शब्दों के स्थान पर "घxxi" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vii) पृष्ठ संख्या 55 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 10(3ख) में, कॉलम "15/6 तक" और "16/6 से 15/9 तक" के अंतर्गत रिक्त कोष्ठों का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा;
- (viii) पृष्ठ संख्या 58 पर, अनुसूची सीएफएल में, पंक्ति 11 पर, अंकों और अक्षरों "2xv" के स्थान पर, अंक और अक्षर "2xiv" प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं;
- (ix) पृष्ठ संख्या 68 पर, भाग ख-टीआई के, पंक्ति 11 पर, अक्षर "w" के स्थान पर अक्षर "v" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 58/2026/फा. सं. 370142/6/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 263(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 227(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 46, in row B(5)(e) of schedule CG, for figures and letters "6c – 6d", figures and letters "5c – 5d" shall be substituted;
- (ii) at page number 49, in schedule-CG, in marginal heading of row E, words and figures "B12a" shall be substituted by words and figures "B11a";
- (iii) at page number 50, in schedule-CG, in table F grey colour of the blank cells shall be removed;
- (iv) at page number 50, in schedule-112A, column (1b) shall be omitted;
- (v) at page number 51, in schedule-115AD(1)(b)(iii) proviso, column (1b) shall be omitted;
- (vi) at page number 53, in schedule OS, in row 2(d), for the words "dxx", the words "dxxi" shall be substituted;
- (vii) at page number 55, in schedule OS, in row 10(3b), grey colour of the blank cells under column "upto 15/6" and "from 16/6 to 15/9" shall be removed;
- (viii) at page number 58, row xi of schedule CFL, for the figures and letters "2xv", figures and letters "2xiv" shall be substituted;
- (ix) at page number 68, row 11 of part B-TI, for the letter "w", letter "v" shall be substituted;

[Notification No. 58/2026/F. No. 370142/6/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.